प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 29 **मार्च, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु मानक मद-15 गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/1095, दिनॉक 20.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु मानक मद-15 गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 8.70 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-05-01-03-निदेशन के मानक मद-15-गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में **रू0 8.70 लाख (रू0 आठ लाख सत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,70,000 (रुपये आठ लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210050010300 निदेशन मानक मद 15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by अनिल कुमार सिंह
Date: 29-03-2024 17:15:45
Reason: Approved

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग- 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2023-24-001-71-1002-27-2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशालय हेतु मानक मद-15-गाडियो का अनुरक्षण और पेट्राल आदि की खरीद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210050010300 (निदेशन)	01 वेतन) (	4,85,87,000 रुपये चार करोड़ पचासी लाख सतासी हजार मात्र	8,70,000 रुपये आठ लाख सत्तर हजार मात्र	-8,70,000 रुपये आठ लाख सत्तर हजार मात्र	4,77,17,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210050010300 (निदेशन)	15 गाड़ियों का)	42,00,000 रुपये बयालीस लाख मात्र	8,70,000 रुपये आठ लाख सत्तर	50,70,000	2023-2024

अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की (खरीद		हजार मात्र

कृपया उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में निदेशालय हेतु वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 8.70 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

कार्यालय की मॉग पत्र दिनांक 20.03.2024 के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशालय में वाहनों के संचालनार्थ लम्बित बिलों के भुगतान हेतु रू0 4.20 लाख तथा मार्च माह के प्राप्त होने वाले अनुमानित बिलों हेतु रू0 4.50 लाख, इस प्रकार कुल रू0 8.70 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति की जानी है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-बजट-1-841-2023-24, दिनांक 27 मार्च, 2024

सेवा में,
महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

Digitally Signed by ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला
Date: 22-03-2024 15:06:25
Reason: Approved

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।